

राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

वित्त भवन, ए-ब्लॉक, ज्योति नगर जनपथ, जयपुर-302005

(दूरभाष नं०:-0141-2740837, फ़ैक्स 0141-2742309, ई-मेल:-jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक. प.4(ई)(डी-2022)/अलेसे-III/ 248-52

दिनांक:- 20.1.2026

कार्यालय आदेश

श्री धर्मेन्द्र, कनिष्ठ लेखाकार, (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) कार्यालय कमाण्ड अधिकारी 14 राज. बटालियन एन.सी.सी. कोटा के पत्र दिनांक 09.09.2025 के आधार पर राजस्थान सेवा नियमों के नियम 96 के अन्तर्गत वित्त (नियम अनुभाग) विभाग के मेमोरेण्डम दिनांक 06.01.2020 एवं 22.02.2021 के अनुसरण में निम्नानुसार असाधारण (अवैतनिक) अवकाश स्वीकृत किया जाता है:-

दिनांक 15.04.2025 से 17.04.2025 तक (कुल 03 दिवस)

उक्त 03 दिवस के असाधारण (अवैतनिक) अवकाश का इन्द्राज श्री धर्मेन्द्र, कनिष्ठ लेखाकार की सेवा पुस्तिका में (लाल स्याही से) अनिवार्य रूप से अंकित करावें।

यह निदेशक महोदया से अनुमोदित है।

(सीमा कौशल)

संयुक्त निदेशक (कार्मिक-II/III)

दिनांक:- 20.1.2026

क्रमांक. प.4(ई)(डी-2022)/अलेसे-III/ 248-52

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. कार्यालय कमाण्ड अधिकारी 14 राज. बटालियन एन.सी.सी. कोटा।
2. वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक महोदया।
3. श्री धर्मेन्द्र, कनिष्ठ लेखाकार, (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) कार्यालय कमाण्ड अधिकारी 14 राज. बटालियन एन.सी.सी. कोटा।
4. संयुक्त निदेशक (आई.टी.) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
5. रक्षित/निजी पत्रावली।

(सीमा कौशल)

संयुक्त निदेशक (कार्मिक-II/III)

Signature valid

Digitally signed by Seema Kaushal

Designation: Joint Director

Date: 2026.01.20 11:47:23 IST

Reason: Approved



D:\2019\SEEMA JI\ORDER.DOCX:- 12

RajKaj Ref No.:  
19975576

eSign 1.0